भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4761

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है।

आवश्यक उर्वरकों की सुलभता

4761. श्री नवसकनी के.:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य, तमिलनाडु में आवश्यक उर्वरकों और फसल संबंधी पोषक तत्वों की उपलब्धता और सुलभता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या फसलों के मौसम के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त राज्य में किसानों को राजसहायता जारी करने में कमी, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव अथवा वितरण संबंधी चुनौतियों ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) किसानों की आदान लागत को कम करने के लिए उर्वरकों और पोषक तत्वों की समय पर आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): देश में सभी उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
(ii) कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान पर्याप्त बनी रही। हालांकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, चल रहे रबी मौसम अर्थात 01.10.2025 से 17.03.2026 तक राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

रबी 2025-26 (17/03/26 तक) के दौरान तमिलनाडु में उर्वरक की स्थिति						
						आँकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	उत्पाद	रबी 2025-26 के लिए आवश्यकता	दिनांक 01/10/25 से 17/03/26 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 17/03/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 17/03/26 तक बिक्री	17/03/26 को अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	6.50	6.14	7.34	5.98	1.36
2	डीएपी	1.55	1.48	2.11	1.51	0.60
3	एमओपी	1.80	1.71	1.36	1.01	0.35
4	एनपीकेएस	5.14	4.90	6.71	4.55	2.16
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता						
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक उपलब्धता > बिक्री						

इसके अलावा, यूरिया की किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों का एमआरपी विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का एमआरपी उचित स्तर पर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं,

जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, खरीफ 2025 मौसम और रबी 2025-26 के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा, विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं, को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु राज्य सहित अखिल भारत में एनबीएस स्कीम समान रूप से लागू की जाती है।

इसके अलावा, 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक उत्पादक आयातक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों (यूरिया के आयात को छोड़कर) पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। तमिलनाडु के किसानों सहित सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार, तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में किसानों के लिए उर्वरक सुलभ और किफायती बनाए गए हैं।
